कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, डीडवाना–कुचामन

कार्यालय–आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा–2022 मे अन्तिम रूप से चयनित, पात्र एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियो को नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप , संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय,जयपुर के पत्रांक प. 17(15)शिक्षा–2/2014/जयपुर दिनांक 27.08.2021 एवं श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान–बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा–मा./संस्था/ एफ–1/12102(203)/सी.भ./पीटीआई/2021–22 दिनांक 02.09.2023 मे दिये गये निर्देशो के अनुरूप संलग्न सूची में विवरणांकित आशार्थियो को **शारीरिक शिक्षा अध्यापक पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के वेतन लेवल –10** में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप मे दो वर्ष के प्रोबेशन पर राज्य सरकार के आदेशानुसार मासिक नियत पारिश्रमिक पर पर परामर्श केम्प के माध्यम से विकल्प पत्र प्राप्त करते हुए नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। सम्बंधित संस्थाप्रधान को निर्देशित किया जाता है कि वह इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेगे–

01. नवपदस्थापित शारीरिक शिक्षा अध्यापक द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक, आयु, जाति, आरक्षण सम्बधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजो का मूल दस्तावेजो से मिलान कर उसकी एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखो में सुरक्षित रखेगे, कोई भिन्नता/ सन्देह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को तत्काल सूचित करते हुए अग्रिम आदेश प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवायेगे।
02. नियुक्ति पर कार्यग्रहण से पूर्व नियमानुसार सम्बंधी जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल ही प्राप्त किया जाना सुनियिचत किया जावे ,इसके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नही करवाया जावे। **पूर्व में राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिको हेतु यह आवश्यक नही होगा।**
03. **जिन अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने पर उक्त के विरूद्व कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 एवं 26.10.2021 के अनुसार कार्यवाही कर उसकी सुचना अविलम्ब इस कार्यालय को देवें। किसी अभ्यर्थी की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नही पाये जाने/ के बिना कार्यग्रहण करवाया जाता है तो संबंधित संस्थाप्रधान के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कि जावेगी।**
04. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके बाद उत्पन्न सन्तानो के संबंध मे कुल सन्तानो की संख्या दो या दो से अधिक नही होने सम्बधी आशय का शपथ पत्र आवश्यक रूप से निर्धारित प्रारूप में 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे।
05. विवाहित अभ्यर्थियो के मामले मे विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा विवाह यदि विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संम्बन्धी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्सम्बन्धी आशय का 50/–रू के नॉन ज्युडिशियल स्टाप पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
06. आवेदक द्वारा दहेज नही लिए जाने का स्व–घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
07. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी के द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र मे जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया हो कि ''अपवर्जन का नियम इन पर लागू नही होता है, अर्थात् अनुसूची मे वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नही है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नही होना चाहिये।'' यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी मे आता है तो उनका आवेदन पत्र/सूचना अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाये।
08. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रैनी) की अवधि मे फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मॅहगाई भत्ता,मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतीपुर्ति भत्ता, मॅहगाई वेतन(डीपी), विशेष वेतन,बोनस आदि देय नही होगा।

Signature valid

Digitally signed by Chand Mal Sharma
Designation : District Education Officer
Date: 2023.09.18 16:54:05 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4747708

09. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्राबेशन ट्रैनी) की अवधि मे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतियां नियमानुसार होगी।
10. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्राबेशन ट्रैनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नही माना जायेगा।
11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रैनी) की अवधि मे इन्हे कलेण्डर वर्ष मे केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक–एफ–12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
12. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से 50/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगें कि , यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता एवं खेल प्रमाण पत्र वैद्य व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने संबंधि अधिकारी विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति मे तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
13. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 7(3)कार्मिक/क–2/06/पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नही करने संबंधी वचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र मे प्राप्त की जावे।
14. कार्यग्रहण करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.7(13)कार्मिक /क–2/23 दिनांक 11.05.2023 के अनुसार भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एवं राष्ट्र की प्रभूता, अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने तथा पद के कर्तव्यों को राजनिष्ठता , ईमानदारी एवं निष्पक्षता से किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जाकर सेवा अभिलेखो में संकलित किया जावें।
15. नवपदस्थापित शारीरिक शिक्षा अध्यापक के कार्यग्रहण की सूचना संबंधित संस्थाप्रधान शाला दर्पण पर कार्यग्रहण करवाकर इस कार्यालय को आवश्यक रूप से देवे।

नवपदस्थापित शारीरिक शिक्षा अध्यापक को उक्त **नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 09.10.2023 तक कार्यग्रहण करना** अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नही करने पर आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजो/सूचनाएं सही नही पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाऐ समाप्त कर दी जायेगी।

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक डीडवाना–कचुामान

क्रमांक–जिशिअ/मुमा/डीकु/संस्था–1/सी.भ./शा0शि0–2022/2023/68 दिनांक 18.09.2023

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान–जयपुर।
02. श्रीमान् शासन उप सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान–जयपुर
03. श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान–बीकानेर।
04. श्रीमान् सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड , जयपुर।
05. श्रीमान् संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर मण्डल अजमेर।
06. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी , नागौर।
07. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंम्भिक नागौर।
08. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला नागौर।
09. सिस्टम एनालिस्टेट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतुं।
10. सम्बंधित संस्थाप्रधान को विभागीय वेबसाइट के माध्यम से ।
11. सम्बंधित अभ्यर्थी ....को विभागीय वेबसाइट के माध्यम से ।
12. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक डीडवाना–कचुामान

Signature valid
Digitally signed by Chand Mal Sharma
Designation : District Education Officer
Date: 2023.09.18 16:54:05 IST
Reason: Approved

कार्यालय—जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक डीडवाना—कुचामन

शारीरिक शिक्षक अध्यापक सीधी भर्ती 2022 पदस्थापन सूची

क्रमांक—जिशिअ/मुमा/डीकु/संस्था—1/सी.भ./शा0शि0—2022/2023/68 दिनांक 18.09.2023

S.NO	PHOTO	ROLL NO	MERIT NO.	NAME	F NAME	DOB	GENDER	CAT	SEL_CAT	ADDRESS	POSTING PLACE
1		745050	364	RAM CHANDRA BHAKAR	HARI RAM	28-Aug-91	Male	OBC	GEN	VPO-DIKAWA TEH.-DIDWANA - District NAGAUR	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL RAISINGHPURA (500163)(08140714401), DEEDWANA
2		712109	4499	HARDEV	KALU RAM	17-Feb-00	Male	SC	SC	S/O KALU RAM WARD NO. 02, MAHAL BAAS VPO. - BHUKARKA District HANUMANGARH	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL BADER (477512)(08140600401), LADNUN

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक डीडवाना—कचामान

Signature valid

Digitally signed by Cha[illegible] Mal Sharma
Designation : District [illegible]ducation Officer
Date: 2023.0[illegible].18 16[illegible]4:05 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4747708